

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में स्व-सहायता समूहों की भूमिका

सारांश

ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक सशक्तिकरण यद्यपि सामुदायिक तौर पर निर्बल वर्गों की समावेशी विकास का लक्ष्य पहला है, परन्तु निर्बल वर्ग का बड़ा हिस्सा महिलायें हैं जो आर्थिक रूप से पराधीन स्थिति में आज भी हैं। आर्थिक स्तर पर निर्णय पुरुषों के साथ में यथावत है, जबकि सामुदायिक सहभागिता के लिए पंचायतें, सरकारी योजनाएं और प्रवर्तित कार्यक्रम हर वर्ष नये उद्देश्य और नारे के साथ लागू होते हैं। लोकतंत्र में आर्थिक विकास की ढाँचागत नीति और योजनाओं का क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार का अधिकारिक उन्नयन और अवसर संकल्पित किया गया है। क्षेत्रीय भिन्नताएं और अन्तर्क्षेत्रीय, जाति-वर्गीय सामाजिक ढाँचा, पितृसत्तात्मकता से महिलाओं का ग्रामीण क्षेत्र में विकास अवरुद्ध दिखता है। इसमें जो योजनायें उन्हें प्रगत करने की हैं, उनको लागू करने में कई योजनायें व्यावहारिक एवं जमीनी हकीकत से दूर होने से प्रश्नमूलक है। दूसरे क्रियान्वयन एजेन्सी की सरकारी ढाँचागत कमी से भी समावेशित विकास नहीं हो पाता है।

मुख्य शब्द : मुख्य शब्द लिखे
प्रस्तावना

पूर्णमा मिश्रा
शोध छात्रा,
वाणिज्य विभाग,
जबलपुर विश्वविद्यालय,
जबलपुर

विकास द्विवेदी
पद— लिखे
विभाग— लिखे
शासकीय तिलक महाविद्यालय,
कटनी

मानव विकास के संकेतकों के आधार पर भी यह प्रवृत्ति स्त्री असमानता का सामाजिक-आर्थिक तथ्य है। 2001 में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण की नीति आई, इसके 15 वर्षों के बाद रोजगार और विशेषकर स्वरोजगार के स्तर पर महिलायें पीछे हैं। इनको सामूहिकता के प्रयोग के तौर पर स्वसहायता समूहों के गठन का कार्य आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु किया गया है। कौशल विकास को जोड़ना जरूरी है। स्वसहायता समूहों को आर्थिक सहायता कार्य, विभाग से जैसे नावार्ड (NABARD) एवं संस्थागत विकास योजनाओं का प्रमुख घटक के रूप में स्थान दिया गया है। दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण और महिला प्रधान योजनाओं को अवसरवादी इसकी राजनैतिक पब्लिसिटी एवं सरकारी प्रचार करने पर लगे हैं। नारीवादी, महिला मुक्ति मोर्चा के अग्रणी विचारक या एक्टिविस्ट (Activist) इसे पुरुष विरोधी अभियान से जोड़कर नारीवाद सिद्धांतों से अलग व्याख्या करने को आतुर हैं।

महिला सशक्तिकरण के आर्थिक सैद्धांतिकी दायरे में रखकर व्याख्या करने की जरूरत है, जो कि किसी प्रकार के ग्लोरीफिकेशन या ग्लैमर तथा सशक्तिकरण के पुराने अर्थ की प्रस्तुति से एक अलग होनी चाहिये। समाज के अभिजातीय ढाँचे से निकली महिला सशक्तिकरण की व्याख्या ग्रामीण महिलाओं के लिए जमीनी हकीकत कई मायने में अलग है। भारतीय समाज में महिलायें समानता, समता और पहुँच (Equality, Equity, Access) के तात्कालिक उन्नयन को पहले चाहती हैं। आजादी, आत्मविश्वास, अपने सपने पूरे करने की आजादी, अपने निर्णय लेने की आजादी देना सशक्तिकरण प्रक्रिया का भाग है एवं मूल उद्देश्य कह सकते हैं।

2001 से आगे चलकर 2017-18 में सशक्तिकरण में धारणागत बदलाव हुआ है। किसी न किसी रूप में सशक्तिकरण की परिभाषा बदलने का विचार निहित है और सशक्तिकरण के संकेतकों को भी सैद्धांतिक रूप से परिभार्जन करने की आवश्यकता है। आमजन की चर्चा में यह तथ्य सामने आया है कि महिलायें कानून के प्रति सजग रहे और प्रयोग का अवसर हो तो पीछे न हटें। मसलन बढ़ते बलात्कार से निपटने में महिला स्वयं सक्षम बनें, आर्थिक रूप से अपने परिवार को अपनी धुरी मानकर परिवार उन्नयन में उपयोगी स्वसहायता समूहों से जुड़ें।

स्वसहायता समूहों का अर्थशास्त्र यह संकेत देता है कि महिलायें अपने और अपने परिवार की उन्नति करने, गरीबी से मुकाबला करने में आगे बढ़ी हैं।

अपने परिवार को अपनी धुरी मानकर परिवार उन्नयन में उपयोगी स्वसहायता समूहों से जुड़ें ।

स्वसहायता समूहों का अर्थशास्त्र यह संकेत देता है कि महिलायें अपने और अपने परिवार की उन्नति करने, गरीबी से मुकाबला करने में आगे बढ़ी हैं। ग्रामीण महिलाओं के लाखों स्वसहायता समूह बने हैं जो आज सफलता की कहानी बयान करते हैं। अपनी निजी स्वतंत्रता और निर्णय लेने की स्वयं की भागीदारी पर ध्यान स्वसहायता समूहों के संकल्प में शामिल है । स्वसहायता समूहों का आर्थिक दर्शन समावेशी विकास का ही दर्शन नजर आता है ।

आर्थिक क्रियाओं से उत्पादन नये-नये प्रयोग क्षेत्र और मुख्य रूप से बचत करने का प्रयोग होना स्वसहायता समूह के रूप में भविष्य के लिए धन और आड़े वक्त में धन की मदद के साथ सामूहिक रूप से भावनात्मक सहयोग करना लक्ष्य पूर्ति का सार्थक उद्देश्य है ।

पूर्ण गरीबी के खात्मे के बाद ही सशक्तिकरण की आर्थिक रूप से विजय होगी । सामाजिक बाधाएं गॉव में गठित स्वसहायता समूहों के सामने आती हैं । जहाँ लैंगिक भेदभाव, जातिगत मान्यताएं अभी भी अवरोधक हैं, परन्तु स्वसहायता समूहों से एक नई सामूहिकता या नारीवाद की सार्थक परिभाषा गढ़ने का अवसर मिला है । आज भी महिला आरक्षण विधेयक के पास होने की प्रत्याशा है। स्वसहायता समूह इस मान्यता को तोड़ने में प्रभावी कदम है कि वगैर आरक्षण महिलाओं को स्वावलम्बन सिखाना होगा । ग्रामीण महिलायें पारिवारिक जिम्मेदारी और गृहस्थी, अर्थव्यवस्था को समझते हुए अपने समूह की बैठकों में पहुँचती हैं तथा निर्णय और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाती हैं तो नये आर्थिक स्वावलम्बन के युग लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जायेगा ।

अध्ययन का उद्देश्य—लिखे

अनुभाविक अध्ययनों के आधार

नाबार्ड के नेतृत्व में चलने वाला स्व-सहायता समूह बैंक सहयोजन कार्यक्रम न केवल विष्व के सबसे बड़े सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम के रूप में उभरा है वरन् इसका विकास भी तीव्र गति से हुआ है । अध्ययनों से पता चलता है कि इन पहलकदमियों से जहाँ औपचारिक बैंकिंग प्रणाली की पहुँच निर्धनों की दहलीज तक बढ़ी है, वहाँ उनका सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण विशेषकर महिलाओं का भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है । जैसे प्रचुर प्राकृतिक संपदा और कुशल मानव संसाधनों के बावजूद उड़ीसा देश का निर्धनतम राज्य है । इसके कुछ सबसे पिछड़े हुए जिलों में 78 प्रतिषत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रही है । सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम ने इन जिलों में सामाजिक आंदोलन का रूप ले लिया है । वर्ष 1992-93 में जहाँ मात्र 500 स्व-सहायता समूह बैंको से जुड़े थे, वहीं मार्च-2005 की समाप्ति तक इनकी संख्या 1,23,000 तक जा पहुँची है । इस मामले में उड़ीसा पूर्वी क्षेत्र का अग्रणी राज्य बन गया है ।

नाबार्ड का उद्देश्य गुणात्मक और प्रभावशाली रूप से आगे इन कार्यक्रमों का उन्नयन (अपस्केल) करना है

ताकि पिछड़े क्षेत्र विशेष पर फोकस रखते हुए 2008 तक सभी 38 लाख निर्धन परिवारों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराया जा सके । चालू मूल्यांकन अध्ययन में स्विस बैंक सहयोजन कार्यक्रम में समूह के कार्य के सभी पहलुओं- बैंक सहयोजन और प्रत्येक परिवारों पर पड़ने वाले सामाजिक, आर्थिक प्रभाव आदि कार्य की प्रभाविता का अध्ययन करना। यह अध्ययन उड़ीसा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कालाहांडी जिले में 80 स्व-सहायता समूहों को लेकर कराया गया जिसके सदस्यों की संख्या 997 थी और जो दो साल से ज्यादा समय से कार्य कर रहे थे ।

इस अध्ययन से यह तथ्य सामने आया कि महिलाओं द्वारा बनाये गए छोटे-छोटे समूह अधिक स्पन्दनशील हैं। बचतों के रूप में नगदी और अन्य वस्तुएं-चावल, झाड़ू आदि दी गई हैं तथा समूहों के सदस्यों की उपस्थिति 97 प्रतिषत रही है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय जिनमें बचत, ऋण, ब्याज, चुकौती आदि शामिल है, गणतांत्रिक पद्धति से समूहों की बैठकों से लिए गए। सैम्पल ग्रुप के 19 प्रतिषत ने सूक्ष्म वित्त के माध्यम से महाजनों के पुराने ऋण चुकता किए, 32 प्रतिषत ने प्राप्त रकम को आज-अर्जक गतिविधियों में लगाया जिनमें कृषि को प्रथमिकता प्राप्त 28 प्रतिषत थी । समष्टि स्तर पर किए गए मूल्यांकन से यह अनुमान लगाया गया कि केबीके क्षेत्र में कुल 3.95 लाख परिवार लाभान्वित हुए। 67,430 व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो पायी। स्व-सहायता समूह ऋण के सहारे 47,598 लोगों का अन्य राज्यों में पलायन रोका जा सका है । स्व-सहायता समूह बनने के बाद सैपल ग्रुप का कोई सदस्य ने महाजनों से ऋण नहीं लिया है । महिलाओं की साक्षरता शक्ति के सहारे महिलाओं ने अपना सशक्तिकरण किया। अध्ययन से यह भी पता चला है कि स्व-सहायता समूह, स्वयं सहायता संवर्धन संस्थाओं से उन्हें जागरूकता, बही-खाता रखने, उद्यमशीलता विकास तथा विपणन सहयोग के सम्बंध में अधिक सहायता प्राप्त हुई है, जो कार्यक्रम के बेहतर प्रभाव को दर्शाता है।

क्षेत्र अध्ययन के अन्य अनुभव

महिला विकास से स्व-सहायता समूह की भूमिका का अध्ययन जबलपुर जिले की पनागर तहसील के समूहों एवं महिला सदस्यों को केन्द्रित कर आकड़े प्राप्त किए गए । चुनी गयी महिला (स्व-सहायता समूह के सदस्यों में) की व्यक्तिगत-सामाजिक पृष्ठभूमि को अध्याय-3.0 में दिया गया है । औसत रूप से 30-40 वर्ष आयु की समूह सदस्यार्यें थीं, जिनकी औसत शिक्षा हायर सेकेण्डरी तक थी । पति का व्यवसाय कृषि और दिहाड़ी मजदूरी तथा अस्थायी कार्य था, इनमें मौसमी रूप से उपलब्ध कार्य तथा जबलपुर महानगर में काम करने की जानकारी मिली । परिवारों के काम करने की जानकारी मिली । परिवारों में 8 प्रतिषत माह में 2,000 से 3,500 तक आमदनी करते थे । औसत रूप से एक सदस्य के ऊपर 2 बच्चों का भार पाया गया । जाति पृष्ठभूमि के आधार पर पाया गया कि पिछड़े वर्ग की उत्तरदाता 50 प्रतिषत से अधिक है। 20 प्रतिषत तक उत्तरदाता अनुसूचित जाति से थीं । आवासीय एवं सम्पत्ति, भौतिक

साधनों का औसत स्वरूप एक-दो कमरे में परिवार का रहना, कच्चे घर भी हैं। उत्तरदाता 30 प्रतिशत तक माह में एकाध बार शहरी जाती हैं। इनके पास टी.वी. की उपलब्धता 40 प्रतिशत सदस्यों को मिली शेष संचार साधनों में मोबाइल भी रखती थी।

प्रारंभ में स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना को समूह (SHG) का आधारक (Prime Mover) के रूप में चिन्हित किया गया जो गरीबी निवारण में स्वयं प्रयासों का समूह में एक साथ संगठन करने का संकेत से सूचित हुआ है। स्व-सहायता समूह ग्रामीण गरीबी का एक ऐसा समूह है जो अपने समूह के सदस्यों की गरीबी को दूर करने का मुख्य उपक्रम बना। समूह के रूप में यह औपचारिक प्रकार का है जो अपने प्रयासों में सरकारी पक्ष, बैंक एवं स्थानीय नेतृत्व का बेहतर तालमेल से सफल समूह के रूप में चिन्हित हुआ है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से महिलाओं में नेतृत्व गुणों तथा व्यक्तित्व प्रस्फुटन होता है। समूह के लिये माइक्रो फाइनेंस, नाबार्ड, जिला पंचायतों को दिए गए गरीबी उन्मूलन, आजीविका परियोजनायें सीधे महिलाओं को लक्ष्य समूह मानते हुए उन्हें आर्थिक सहायता, सब्सिडी, ऋण की त्वरित पूर्ति करता है।

स्व-सहायता समूह को दूसरा परिप्रेक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को जन अभियान परिषद के सरकारी प्रवर्तन से स्व-सहायता समूहों को अनिवार्य संस्था बना दिया गया है। स्व-सहायता समूहों का वित्त पोषण में माइक्रोफाइनेंस एवं बैंक से योगदान मिलता है रिवाल्विंग फण्ड की व्यवस्था बैंक प्रवर्तन का हिस्सा है। ऋण सह-अनुदान की भी व्यवस्था महिला प्रधान स्व-सहायता समूहों हेतु होती है।

स्व-सहायता समूहों द्वारा मोटे तौर पर मध्याह्न भोजन व्यवस्था सरकारी प्रयासों का बड़ा भाग पाया गया। महिलाओं के आर्थिक क्षमता में निरंतर वृद्धि उद्यमिता के जरिये होता है। यदि बेहतर ढंग से स्व-सहायता समूह कार्य करते हैं। मध्यप्रदेश में कई योजनायें इस क्षेत्र में आगे हैं। राष्ट्रीय महिला कोष के नवीन संस्थानिक गठन से इस दिशा में बड़ा असर पड़ा है। अपनी जरूरत एवं स्वरोजगार के लिए महिलायें समूह की जमा राशि से निश्चित ब्याज दर पर ऋण चाहना प्राथमिकता होती है। महिला विकास में प्रशिक्षण, रिवाल्विंग फण्ड (Revolving Fund) के लिए उद्यमी संस्थान जुड़े हों तो सरकार के उद्यमी प्रवर्तन योजनायें कार्य करती हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बैंक को लक्ष्य दिया जाता है कि वित्तीय सत्र में नये उद्यमियों को ऋण सहायता योजना और ट्रेनिंग की व्यवस्था करना है। इससे कई एजेन्सियों का सम्पर्क मिलने पर लक्ष्य होना चाहिए।

नाबार्ड द्वारा महिला उद्यमियों की प्रशिक्षण व्यवस्था होती है, जैसे वन-स्टेप-अप (1988) योजना प्रारंभ में महिला उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण हेतु प्रस्तुत हुई थी। महिला कोष का विकास बैंक एवं फाइनेंस कम्पनियों (Microfinance) की तरफ से वर्तमान में सबसे आगे कहा जा सकता है।

पनागर क्षेत्र में बैंक के कामकाज भारतीय स्टेट बैंक, सेन्ट्रल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के जरिये स्व-सहायता समूहों के लिए आगे रहे हैं। विशेषकर

भारतीय स्टेट बैंक का जिला योजना एक्शन प्लान के अनुसार कार्यक्रमों का आयोजन एवं वित्त प्रवर्तन किया गया।

उसमें जाति, आयु, पति का व्यवसाय, शिक्षा का स्तर, बच्चों की संख्या, भूमिहीनता, आय के साधन और विकास के कारकों के जरिये इस बात का पता लगाया गया है कि स्व-सहायता समूहों से जुड़ने के पहले एवं जुड़ने के बाद की तुलनात्मक दशा में अन्तर दिखा है। सामाजिक दषायें प्रभावित करती हैं जैसे अप्रत्यक्ष रूप से जाति स्तर से स्व-सहायता समूहों की कार्य प्रणाली और सदस्यों के बीच परस्पर संवाद और सहयोग जाति आधारित भी है। आयु एवं शिक्षा से अब अन्तर दिखाई पड़ने लगा है। ग्रामीण सामाजिक ढाँचा में जाति व्यवस्था की भूमिका और प्रस्थिति को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। निर्धनता की दशा में भी यह पाया गया है कि महिलायें निरक्षरता और आधुनिक चेतना के अभाव में जाति के घेरे से सोच विचार कर समूह में सदस्यता लेने पहुँचती हैं।

आज भी अधिकांश महिलाओं को अपने नागरिक अधिकार की चेतना नहीं है अथवा सार्वजनिक में उन्हें अपनी स्वयं की पहचान सामने रखें प्रथम किस जाति से है, दूसरे उसके स्व-सहायता समूह को सदस्यता की पहचान से अधिक महत्व जाति का होना पाया गया। आयु, लिंग, पति का व्यवसाय, स्त्री की स्वयं की शिक्षा का स्तर उत्तरदायी होकर भी वे जाति से ऊपर नहीं हैं। जाति आर्थिक क्रियाकलाप को संचारित करती रहती है।

महिला विकास में स्व-सहायता समूहों की भूमिका में सफलता एवं असफलता के कारणों से जुड़ा तथ्य है, जैसे महिलाओं में नेतृत्व (Leadership Development) का विकास हुआ है। अनपढ़ महिलायें भी समूह की सदस्यता से आगे अध्यक्ष और सचिव सहित बैंक से वित्तीय लेनदेन में आगे आई हैं। समूह की बैठक में समय से पहुँचती हैं। चुने गए 80 उत्तरदाताओं से तत्त्व संकलन करने पर पता चलता है कि मध्य आयु (30-45 वर्ष) में महिलायें तेजी से परिवार की बजाय अपने स्वरोजगार में सक्रिय हुई हैं। परिवार संरचना में दो पीढ़ी की संयुक्तता से गरीबी के विभिन्न संकेत जुड़े हैं, कारण पति की बेरोजगारी या भूमि की कमी ने महिलाओं को प्रेरकों (Motivators) से जोड़ा और वे अतिरिक्त कमाई के लिए स्वयं आगे आयीं। परिवार के पिछले दो दशक के व्यवसायिक संरचना से पता चलता है कि खर्च बढ़ते जाने से परिवार की आमदनी कम पड़ती गई है। सरकारी योजनायें वास्तव में सीमित ढंग से केवल पंचायत सदस्यों, गाँव से बाहर जाने वाले तेज कम्प्युनिकेटर से प्रभाव डालती या अवसर लेने की जगह देती हैं। प्रायः कमाने वाले सदस्य एक हैं जो दिहाड़ी या डेली वेज जैसे अस्थायी प्रकृति के कार्यों से जो आमदनी कर पाते हैं वह घरेलू खर्च में लग जाती है। कर्ज यथावत बढ़ते जाते हैं। पुरुषों के बेरोजगार बैठे रहने वाले परिवार की महिला का स्व-सहायता समूह में जुड़ने की संभावना अधिक पाई गई।

स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं में शासकीय विकास योजनाओं के प्रति जागरूकता आयी है

। लगभग 25 प्रतिषत महिला उत्तरदाता साक्षर स्तर पर यह प्रकट करती हैं कि नहीं जानती हैं या उन्हें अभी तक बताया नहीं गया है ।

योजनाओं के प्रभाव और उपयोग में पाया गया कि वर्तमान में ऋण, सब्सिडी और 100 प्रतिषत अनुदान की योजनायें समूह की सदस्य महिलाओं को अभी नहीं मिली है । 10 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने माना कि उन्हें अनुदान की योजनायें जैसे आवास (निम्न वर्ग, गरीबों की आश्रय योजना, शौचालय योजना आदि) के बारे में उन्होंने सुना है परन्तु अभी तक उनके क्षेत्र में आया नहीं है । पार्षद या वार्ड मेम्बर की ओर से अनुदान जैसे 12,000/-शौचालय निर्माण का अनुदान हेतु उनके आवेदन लंबित थे। इसका अभिप्राय है कि प्रचार-प्रसार हेतु समूह की कम महिलाओं (30 प्रतिषत) जानकारी प्राप्त हुई है । समूह के कार्यकलाप मीटिंग आदि में बैंक के जरिये या माइक्रोफाइनेंस, पंचायतों से सीधे सम्पर्क 46 प्रतिषत महिलाओं ने माना कि उनकी विजिट में जानकारी पम्पलेट या फाइल जैसा दिया गया था ।

राजकल टेलीविजन एक प्रमुख स्रोत साधन है । 78 प्रतिषत महिलाओं का कहना था कि विज्ञापनों से उन्हें नये-नये अभियान पता चल जाते हैं । घर में टी.वी. नहीं है, इसलिए 22 प्रतिषत महिलायें इस उत्तर पर मौन और अनभिज्ञ थीं ।

अध्ययन के स्व-सहायता समूह (6) में संकलित सहभागी में से 62 प्रतिषत का मत है कि समूह से ऋण लेने के बाद भी उसका उपयोग करने में महिलाएं पीछे हैं । प्रमुख निर्णय पुनः पति या पुत्र करते हैं । इसलिए 50 प्रतिषत से अधिक उत्तरदाता (40) स्व-सहायता समूह के सदस्य होने के बावजूद ऋण सहायता लेने का उद्देश्य और खर्च करने के लिए स्वयं प्रथम नहीं पाये गये ।

चालू विकास योजनाएं परिवार केन्द्रित हैं । उनमें दृष्टिकोण निहित है कि परिवार का विकास के लिए आर्थिक योजनायें अच्छी रहती है । 44 महिलाओं के निकट सर्वे (Closed Interview) में माना कि वे स्वयं के लिए दुकान (किराना), माल निर्माण, अगरबत्ती निर्माण जैसे कार्यों हेतु प्रस्ताव पर ऋण चाहती हैं, जबकि इन उद्देश्यों से लिया गया ऋण दूसरे खर्च में व्यय हो जाता है । 56 प्रतिषत महिलाओं ने माना कि आगे वे बच्चों की शिक्षा हेतु लोन के लिए पहले आवेदन करेंगी जो कि कठिन है । क्योंकि इसमें उन्हें रोजगार की संभावना का उद्देश्य बताना कठिन भी है । 70 प्रतिषत महिलाओं ने बताया कि उन्हें समूह के जरिए एक ठोस स्वरोजगार योजना चाहिए । अस्थायी काम चलाऊ और अधिक ब्याज की बड़ी योजनाओं का काम नहीं पड़ता है । माइक्रोफाइनेंस एजेन्सी शासकीय योजना में से महिला विकास योजना के लिए एपेक्स बाडी (Apex Body) से जारी आदेश मानने है जो प्रत्येक वर्ष बदलाव की स्थिति में रहते हैं ।

सामाजिक समस्याओं की जानकारी कानूनी उपाय, समानता पुलिस कार्यवाही के बारे में 40 प्रतिषत सदस्यों ने बताया कि उन्हें समिति की बैठकों में जानकारी मिली ।

स्व-सहायता समूह की सफलता के पीछे कारणों को चिन्हित किया गया जो संकेत हैं कि यह ऋण डिलीवरी एजेन्सी के ऊपर निर्भर हैं जैसे मध्यान्ह भोजन में नियुक्त समूह को पैसा सीधे जिला पंचायत से मिलता है । यदि वह परियोजना अधिकारी का सपोर्ट है तो फण्ड मिलता जायेगा ।

33 प्रतिषत उत्तरदाताओं का मानना है कि वे शासकीय योजनाओं की सुस्त चाल, भ्रष्टाचार से परिलक्षित हैं । अध्यक्ष के रूप में इसका सामना महिला स्व-सहायता समूह करते हुए प्रायः अध्यक्ष अपना पद छोड़ देती हैं । स्व-सहायता समूह को अभी तक महिला विकास कार्यक्रमों के केन्द्रीय उपक्रम नहीं बनाया गया है । 44 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने माना कि अच्छे ढंग से समूह के कामकाज 5 वर्ष तक ही सक्रिय होते हैं । धीरे-धीरे सदस्यों का पीछे हट जाना, मीटिंग में नहीं आना या ऋण के ब्याज की डिफाल्टर स्टेज से समूह संकट में है ।

स्व-सहायता समूहों के कामकाज को फाइलों और औपचारिक नौकरवाही, लेटलतीफी एवं बीच में रह जाना है । जब कोई महिला विकास योजना लागू होती है, तो पर्याप्त जानकारी के अभाव में यह समूह नहीं समझ पाते । महिला और बाल विकास योजनाओं के लिए उतनी तेजी से काम नहीं करता जबकि जिले में अलग से महिला सशक्तिकरण अधिकारी की पद स्थापना मध्यप्रदेश में है । 75 प्रतिषत उत्तरदाता स्व-सहायता समूह से संतुष्ट हैं । 10 वर्ष से गठित समूह में बिखराव की स्थिति है ।

लोकनीति में योगदान हेतु सुझाव

1. स्व-सहायता समूह की ग्रेडिंग की प्रक्रिया के लिए समूह के प्रत्येक सदस्य से सम्पर्क कर पूर्ण करना चाहिए ।
2. राष्ट्रीय महिला कोष, माइक्रोफाइनेंस, बैंक को अभी तक दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में जाकर समूह को गठित करने का कार्य करना चाहिए ।
3. महिलाओं को उद्यमी बनने में अनुदान बड़ा मुद्दा है । यदि उद्यमी को अधिक वित्त मदद दी जायेगी तो उद्यम डाला जा सकता है। यदि आवश्यकता पूरे समूह को 5 लाख तक है तो बैंक प्रवर्तन करे ।
4. स्व-सहायता समूह प्रायः 5 वर्ष उपरान्त निस्क्रिय पड़ जाते हैं इनको रिवाल्विंग फण्ड बढ़ाकर नये सदस्यों को अवसर देकर पुर्नजीवन की योजना पर कार्य करना चाहिए ।
5. ग्रामीण महिलायें तेजी से रोजगार अवसर तलाष रहीं हैं । स्वरोजगार के बजाये कम वेतन के काम को भी स्वीकार करती हैं । समूह की कार्ययोजना में इस पर ध्यान देना चाहिए ।
6. साहूकारों एवं दलालों से गरीब महिला समूह सदस्यों को मुक्त कराया जाये क्योंकि इमरजेन्सी में दलाल और साहूकार ऊँची ब्याज दर वसूलते हैं ।

बंगलादेश में ग्रामीण बैंक की प्रसिद्धि लघु ऋणों और निर्धनों की आय क्षमता बढ़ाने को लेकर है । स्वैच्छिक संगठनों की बढ़ती संख्या से स्व-सहायता समूहों का प्रवर्तन किया जा रहा है। केरल के स्व-सहायता समूहों

11. K.C.Mishra, *Impact of Self Help Groups on Women Empowerment : A Case Study of Puri District, Odisha Journal Press India, 2015, 1(1).*

के लिए स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका का "सशक्तिकरण" प्रक्रिया को देखा गया कि महिला समागम, कुटुम्ब श्री योजनाओं की वजह से स्व-सहायता समूहों को लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिली ।

1. स्वैच्छिक संगठनों द्वारा स्व-सहायता समूहों के गठन, कामकाज तथा प्रोत्साहन जो कार्य हुआ है, उसे जानना ।
2. स्व-सहायता समूह सदस्यों की "सामाजिक प्रोफाइल" बनाना। परिवार, समुदाय और स्थानीय समाज की भूमिका ।
3. स्व-सहायता समूह हेतु परिवार स्तर पर निर्णय लेने का स्वरूप, गैर आर्थिक प्रेरकों का स्थान तथा परिवार से अलग सशक्तिकरण मुद्दों को जोड़ा जाना ।

निष्कर्ष

सामाजिक-आर्थिक कारक(Variables) जैसे-आयु, समूह, शिक्षा, नेतृत्व-प्रस्थिति, बैवाहिक प्रस्थिति, परिवार प्रकार, भू-स्वामित्व, निर्भर सदस्यों एवं कमाऊ सदस्यों की संख्या आदि परिणाम के रूप में उल्लेखनीय थे। स्व-सहायता समूहों को स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका सकारात्मक है। स्व-सहायता समूहों के बंद होने का कारण सदस्यों की अरुचि और परस्पर सम्पर्क टूटना पाया गया । आर्थिक रूप से स्व-सहायता समूहों की उपयोगिता महिला अधिकारिता एवं समावेशी विकास में सिद्ध स्थापित हो चुकी है, इसमें संदेह नहीं ।

References

1. Natalia Gabriela Molina Nevas, *Self Help Groups in India : A Tool for Empowering Rural Women and Eradicating Poverty Disseration, Wageninyen University, 2008.*
2. महिला सशक्तिकरण की कार्यनीति, PACS Programme, 2008.
3. मीरालाल-SHG-cSad श्रंखला में अधिकारिता और उत्तरजीविता, वी.आर.पब्लिकेसन्स,
4. नई दिल्ली-2008
5. Jaya Mehra, Sandhya Chowdhery, *Role of Women Self Help Group (SHGs) in Empowerment of Rural Women in Indore Block of Madhya Pradesh Raj.J.Exten, 17&18, PP-118-120, 2009.*
6. A.K.Gill, *Womens Empowerment through Self Help Groups : A Case Study of Bijadandi, Mandla District of Madhya Pradesh, National Journal of Hindi and Sanskrit Research, 2015, Vol.1(3).*
7. विकास वर्मा, ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में सूक्ष्म वित्त की भूमिका, म.प्र. के धार जिले के विशेष सन्दर्भ में, RJHSS, 3(2), 2014.
8. पूर्णिमा मिश्रा, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में स्व-सहायता समूहों की भूमिका, पीएच.डी. शोध कार्य अप्रकाशित-2017, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ।
9. Sucharita Mishra, *Self Help Groups : Change Agent for Rural Women Empowerment and Entrepreneurship Development in Rural Odisha, IJRDMR-3(3) 2014.*
10. Nirupama Mishra, *Women Empowerment through Self Help Groups in Odisha : Analysis of*